Notified on 23/04/2010

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल, 2010

क्रमांक 941/म.प्र.विनिआ/2010. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 सहपठित धारा 45(3) (बी) तथा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली हेतु दिनांक 7 सितम्बर, 2009 को अधिसूचित मध्यप्रदेश नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण–प्रथम), 2009 में निम्न संशोधन/परिवर्धन करता है :–

''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 में द्वितीय संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :** 1.1 **''ये विनियम मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 (द्वितीय संशोधन) {एआरजी–31(1)(ii), वर्ष 2010}''** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके तत्संबधी अनुज्ञप्ति–प्राप्त क्षेत्रों में प्रयोज्य होंगे ।

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

2. **अध्याय 4 में संशोधन**

''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009'' जिसे एतद् पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है, विनियम 4.3.2 के अन्तर्गत उपशीर्ष'' **(स) अतिरिक्त उच्च दाब/उच्च दाब की समस्त श्रेणियों के उपभोक्ता''** के प्रथम वाक्य, अर्थात्, ''उपरोक्त के अतिरिक्त, विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges) संविदा मांग के रूपये 750 केवीए अथवा उसके किसी अंश की दर से भुगतान योग्य होंगे'' के उपरान्त निम्न वाक्य जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

''वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 33 केवी तथा इससे अधिक वोल्टेज से संयोजित उपभोक्ताओं से प्राप्त विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों से प्राप्त राशि में से संविदा मांग की राशि रू. 650/– प्रति केवीए अथवा उसके किसी अंश का प्रेषण पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्यक्ष रूप से अति उच्च उपकेन्द्र पर प्रणाली अधोसंरचना के विकास हेतु आंशिक वित्त व्यवस्था हेतु किया जाएगा ।''

3. अध्याय 6 में संशोधन

प्रधान विनियम के अध्याय 6 के **शीर्ष ''विविध''** के अन्तर्गत **विनियम 6.1.1 (स)** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

''इन विनियमों के अन्तर्गत, उपरोक्त दर्शाये गये भागों के अन्तर्गत अनुज्ञेय किये प्रभारों/लागतों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेखा–पुस्तकों में पृथक से दर्शाया जाए । इन्हें निक्षेप कार्यों (Deposit Works) हेतु वसूल की गई लागत के रूप में माना जाएगा तथा इनका लेखांकन संव्यवहार उसी प्रकार किया जाएगा जैसा कि वह उपभोक्ताओं के अंशदान के माध्यम से संपादित कार्यों के लिये किया जाता है । इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश **परिशिष्ट – 2** में उल्लेखित हैं ।

4. अध्याय 5 में संशोधन

प्रधान विनियम के विनियम 5.1.1 के अन्तर्गत शब्द ''परिशिष्ट'' को शब्दों ''परिशिष्ट–1'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

आयोग के आदेशानुसार

आयोग सचिव

"अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निम्न लेखा प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

(ए) यदि नवीन परिसम्पत्ति का सृजन किया जाना हो तो,

(i) उपभोक्ता के अंशदान की प्राप्ति होने पर, **बैंक खाते को विकलित (Debited)** किया जाएगा तथा **"उपभोक्ता अंशदान शीर्ष"** को **आकलित (credited)** किया जाएगा ।

(ii) परिसम्पत्ति के [पूंजीकरण (Capitalization) के समय], क्रियाशील (Commissioning) होने पर, **"उपभोक्ता अंशदान शीर्ष"** को **विकलित (debited)** किया जाएगा तथा **"विलंबित आय (उपभोक्ता अंशदान शीर्ष [Deferred Income (Cnsumer Contribution) Head]"** को उपभोक्ता के अंशदान की मात्रा के अध्यधीन सीमित रखा जाएगा । परिसम्पत्ति को स्थाई परिसम्पत्ति (वर्ग 10) के लेखा शीर्ष के अन्तर्गत पूंजीकृत किया जाएगा ।

(बी) यदि किसी नवीन सम्पत्ति का सृजन नहीं किया जाना है तथा उपभोक्ता अंशदान विद्यमान परिसम्पत्ति के अनुसार है, तो **बैंक लेखा** को **विकलित (debited)** किया जाएगा तथा **"विलंबित आय (उपभोक्ता अंशदान) शीर्ष"** को **आकलित (credited)** किया जाएगा ।

(सी) यदि उपभोक्ता द्वारा परिसम्पत्ति का सृजन विनियमों के अध्याय 3 के पैरा (ix) के अन्तर्गत किया जाता है तो इसके क्रियाशील होने पर स्थाई परिसम्पत्ति को **विकलित (Debited)** किया जाएगा तथा **"विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान) शीर्ष"** को मय परिसम्पत्ति की वास्तविक कीमत के **विकलित (credited)** किया जाएगा ।

(डी) वार्षिक लेखा विवरण–पत्रों को तैयार करते समय, उपभोक्ता अंशदान से सृजित परिसम्पत्ति को अवमूल्यन लागत के प्रभाव को निष्प्रभावी (offset) किये जाने की दृष्टि से, **"विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान) शीर्ष"** को **विकलित (Debited)** किया जाएगा तथा **"विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान) शीर्ष के प्रत्युत्सर्जन (amortisation) से आय"** को ऐसी परिसम्पत्ति के विरूद्ध भारित अवमूल्यन की सीमा के अंतर्गत **आकलित (Credited)** किया जाएगा ।

(ई) अनुज्ञप्तिधारी को **"उपभोक्ता अंशदान प्राप्ति शीर्ष (Consumer Contribution Received Head"**) **"विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान) शीर्ष (Deferred Income (Consumer Contribution Head)"** तथा **"विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान)"** के प्रत्युत्सर्जन से आय **"(Income from amortisation of deferred income) (Consumer Contribution) Head"** को उनके वार्षिक लेखों में निम्नानुसार दर्शाया जाएगा :

(i) <u>तुलन पत्र (बैलेंस शीट)</u>

उपभोक्ता अंशदान प्राप्ति शीर्ष को पृथक से निधि के स्त्रोत के अन्तर्गत दर्शाया जाएगा ।

(ii) <u>लाभ तथा हानि लेखा (Profit & Loss Account)</u>

अवमूल्यन ..... A

घटायें : विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान) (प्रत्युत्सर्जन से आय) (प्रतिवर्ष 10% की दर से).....B

विलम्बित आय के उपरान्त अवमूल्यन (A-B) C

(iii) <u>तुलन–पत्र (बैलेंस शीट)</u>

सकल खण्ड (Gross Block) ..... G

घटायें : विलंबित आय (उपभोक्ता अंशदान) ..... H

घटायें : संचित अवमूल्यन (Accumulated Depreciation) C

शुद्ध खण्ड (Net Block) (G-H-C) ..... K

(एफ) उपभोक्ता अंशदान के माध्यम से पोषित कार्य को लेखा पुस्तकों में 'निक्षेप कार्य (Deposit Work)' के रूप में अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए ।

(जी) कम्पनियों को अन्तिम प्रारंभिक तुलन पत्र (Final Opening Balance Sheet) के माध्यम से आवंटित राशि को ''उपभोक्ता अंशदान/पूंजी अनुदान (Capital grant) तथा सहायतानुदान (Subsidy) लेखा'' को अविलंब ''विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान/पूंजी अनुदान तथा सहायतानुदान लेखा'' के अन्तर्गत अन्तरित किया जाएगा तथा इसे वित्तीय वर्ष 2010–11 से प्रभावशील 10 वर्षों की अवधि के अन्तर्गत 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रत्युत्सर्जित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2005–06 (दिनांक 1.6.2005 के उपरान्त) से वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान प्राप्त किये गये उपभोक्ता अंशदान का लेखांकन उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार केवल वित्तीय वर्ष 2010–11 में ही किया जाएगा ।

कम्पनियों को वित्तीय वर्ष 2010–11 की सत्यापन याचिका के साथ उपरोक्त लेन–देन के सम्पूर्ण विवरण दाखिल करने होंगे ।''